कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 222/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.06.2026

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

☐ साइबर हेल्प डेस्क बरदह की त्वरित कार्रवाई से साइबर फ्रॉड पीड़ित के 7,500 रुपये वापस कराए गए

☐ एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस के प्रयास से पीड़ित को मिली राहत

घटना का विवरण-
दिनांक 16.11.2025 को वादी सोनू मिश्रा पुत्र रामेश्वर मिश्रा निवासी थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के बैंक खाते से अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा 7,500 रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई थी। इस संबंध में वादी द्वारा उसी दिन एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 33111250163456 दर्ज कराई गई थी।

शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की गई धनराशि को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात मा० न्यायालय द्वारा निर्गत फंड रिलीज आदेश के अनुपालन में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पीड़ित के खाते में कुल 7,500 रुपये सफलतापूर्वक वापस कराए गए।

पुलिस की अपील-
जनपद पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते धनराशि को सुरक्षित कराया जा सके।
पुलिस टीम-

1. राजीव कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बरदह
2. उ0नि0 मनीष सिंह
3. म0का0 आरती सिंह थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

☐ पुश्तैनी स्टोर रूम में धान का बीज रखने के विवाद में जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

☐ घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद, वांछित अभियुक्त को पुलिस ने दबिश देकर दबोचा

घटना का विवरण-
वादी कौशल कुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवगंगा सिंह निवासी ग्राम लफिया, सरूपहां थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि पुश्तैनी स्टोर रूम में धान का बीज रखने के विवाद को लेकर विपक्षी द्वारा उसके पुत्र को गाली-गलौज दी गई। विरोध करने पर विपक्षी ने लात-घूंसों से मारपीट की तथा सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल के जमीन पर गिर जाने के बाद भी लाठी से मारपीट की गई और उसे मृत समझकर छोड़कर चले गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 224/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस बनाम बृजेश कुमार सिंह पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक देवगांव के नेतृत्व में दिनांक 10.06.2026 को उ0नि0 हरिश्चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई। अभियुक्त बृजेश कुमार सिंह पुत्र सरयू प्रसाद सिंह निवासी ग्राम लफिया थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार कर समय 07:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- बृजेश कुमार सिंह पुत्र सरयू प्रसाद सिंह निवासी ग्राम लफिया थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी
पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 224/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 हरिश्चन्द्र यादव, चौकी लालगंज थाना देवगांव
2. रि0का0 इरफान, चौकी लालगंज थाना देवगांव।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
□ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं मारपीट के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

□ महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त को दबोचा

घटना का विवरण-
वादिनी द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उसकी दोस्ती आकाश सोनकर पुत्र प्रकाश सोनकर निवासी डीएवी कांशीराम आवास, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ से हुई थी। अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया गया। बाद में शादी करने से इंकार करते हुए गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 298/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.06.2026 को उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त आकाश सोनकर पुत्र प्रकाश सोनकर निवासी डीएवी कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को कलेक्ट्रेट के पास स्थित अम्बेडकर पार्क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय 09:30 बजे पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त-
आकाश सोनकर पुत्र प्रकाश सोनकर निवासी डीएवी कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 298/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा
2. का0 अवधेश प्रताप सिंह

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
□ चेकिंग अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस को मिली सफलता, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

□ अवैध असलहा रखने वाले दो युवकों को दबोचा, 02 तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 09.06.2026 को ककरहटा मोड़ अण्डरपास सर्विस लेन के आगे से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर, एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 299/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राज सरोज पुत्र मोती सरोज निवासी सियरेहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. राजा राजभर पुत्र पतिराम राजभर निवासी सियरेहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-
□ एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर
□ एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर
□ एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 299/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति
2. उ0नि0 उदय शंकर तिवारी
3. का0 सुमित कुमार निषाद
4. का0 सचिन कुमार
5. का0 राहुल पाण्डेय
6. का0 अम्बर दीप

थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़
☐ सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराकर रील बनाकर दहशत फैलाने वाले तथाकथित "9959 गैंग" का सदस्य गिरफ्तार

☐ आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अवैध पम्प एक्शन गन, कारतूस व स्कॉर्पियो वाहन बरामद; एक अन्य अभियुक्त की तलाश जारी

घटना का विवरण-
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक अवैध असलहों के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं तथा "9959 गैंग" के नाम से अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त कृत्य से स्थानीय लोगों में भय एवं आक्रोश व्याप्त था।

सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा वायरल वीडियो की जांच कर संबंधित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की गई। जांच में गोलू यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी रघुनाथपुर थाना महराजगंज तथा रामनगीना उर्फ नग्गू पुत्र नागेन्द्र उर्फ फजीहत यादव निवासी हरखुपुर थाना कन्धरापुर का नाम प्रकाश में आया। दोनों अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण-
दिनांक 10.06.2026 को व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मड़या से सर्विस रोड के किनारे सेहदा जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर अभियुक्त गोलू यादव को गिरफ्तार किया गया। जबकि उसका साथी रामनगीना उर्फ नग्गू अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पम्प एक्शन गन 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा एक काली स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP50CW9959 बरामद कर सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
गोलू यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी रघुनाथपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी-
☐ 01 अदद अवैध पम्प एक्शन गन 12 बोर
☐ 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
☐ 01 अदद स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP50CW9959 (रंग काला) सीज
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 152/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह
2. का0 अमित जायसवाल,का0 विजय कुमार यादव, का0 रामशरन यादव,रि0का0 बबलू वर्मा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
☐ मंदिर से लौट रही महिला के गले से सोने की चेन झपटने वाले दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
☐ घटना के मात्र तीन दिन के भीतर बिलरियागंज पुलिस ने किया खुलासा, लूटी गई चेन बेचकर प्राप्त 52 हजार रुपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण-
दिनांक 07.06.2026 को वादी राघवेन्द्र सिंह पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम एवं पोस्ट गद्दोपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनकी चाची पुष्पा सिंह महादेव मंदिर कुटिया बड़िहारी से पूजा-अर्चना कर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारकर उनके गले से लगभग 30 ग्राम वजनी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस कार्रवाई एवं गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। दिनांक 10.06.2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र एवं उ0नि0 अक्षयदीप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा नसीरपुर नई बस्ती के पास घेराबंदी कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने महादेव शिव मंदिर बड़िहारी के पास महिला के गले से सोने की चेन झपटकर मोटरसाइकिल से फरार होने की घटना कारित की थी। बाद में उक्त चेन को एक अज्ञात राहगीर को 74,000 रुपये में बेच दिया था तथा प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश राजभर पुत्र स्व0 तिलकू राजभर निवासी बड़िहारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
2. सिन्टू राजभर पुत्र दुर्बल्ली राजभर निवासी बड़िहारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी-
☐ लूटी गई चेन बेचकर प्राप्त 52,000 रुपये नगद
☐ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP50S3065 हीरो होंडा पैशन प्लस

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 152/2026 धारा 304(2) बीएनएस तथा विवेचना के दौरान धारा 3(5)/317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी, थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अमित कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष बिलरियागंज
2. उ0नि0 अक्षयदीप सिंह
3. का0 अविनाश कुमार पटेल
4. का0 नागेन्द्र यादव
5. का0 आकाश कुमार सिंह
6. का0 सुरेन्द्र पाल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना ए0एच0टी0, जनपद आजमगढ़

□ अपहृता को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द करने के बाद एएचटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

□ मु0अ0सं0 47/2025 में वांछित अभियुक्त रोडवेज परिसर से गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

घटना का विवरण-
दिनांक 10.02.2025 को थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादिनी द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसकी लगभग 16 वर्षीय पुत्री को अनन्य प्रजापति उर्फ लक्ष्मी पुत्र नन्दलाल प्रजापति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 47/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पीड़िता की बरामदगी न होने के कारण उक्त मुकदमे की विवेचना दिनांक 22.04.2026 को थाना ए0एच0टी0 को स्थानांतरित की गई। विवेचक द्वारा दिनांक 02.06.2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद कर नियमानुसार बयान दर्ज कराते हुए परिजनों को सुपुर्द किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अपहृता/गुमशुदा की बरामदगी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में दिनांक 10.06.2026 को थाना ए0एच0टी0 पुलिस को मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त रोडवेज आजमगढ़ के पास मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को रोडवेज परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
अनन्य प्रजापति उर्फ लक्ष्मी पुत्र नन्दलाल प्रजापति निवासी ग्राम ओहदपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 47/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान-
रोडवेज, आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्र, थाना ए0एच0टी0 आजमगढ़
2. उ0नि0 दीपक कुमार (विवेचक)
3. हे0का0 रामजनम यादव
4. म0का0 शबाना बानो थाना ए0एच0टी0 आजमगढ़।